भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1743

(13 फरवरी, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

दिशा समितियां

1743. श्रीमती फूलो देवी नेतम:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वित्त वर्षों में से प्रत्येक वर्ष अनिवार्य रूप से आयोजित की जाने वाली चार जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) बैठकों का आयोजन करने में विफल रहे जिलों की संख्या कितनी है;

(ख) 2024-25 और 2025-26 में एक भी दिशा बैठक आयोजित न करने वाले जिलों की संख्या क्या है;

(ग) ऐसी विफलताओं के लिए जिला कलेक्टरों द्वारा दिए गए कारणों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या दिशा निगरानी प्रावधानों के तहत की गई परिकल्पना के अनुसार ऐसे जिलों में केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के तहत निधि रोकी या स्थगित की गई थी?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(श्री कमलेश पासवान)

(क)और (ख) वर्ष 2022-23 से उन जिलों की संख्या, जिन्होंने दिशा की बैठकें आयोजित नहीं की हैं, का वर्ष-वार ब्योरा निम्नलिखित है:

वित्तीय वर्ष	उन जिलों की संख्या जिन्होंने (प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार) चार दिशा बैठकें आयोजित नहीं की हैं:	उन जिलों की संख्या जिन्होंने एक भी दिशा बैठक आयोजित नहीं की है।
2025-26 (आज की तिथि तक)	773 (776 जिलों में से*)	138
2024-25	785 (785 जिलों में से*)	262
2023-24	753 (761 जिलों में से*)	206
2022-23	733 (761 जिलों में से*)	164

*(संबंधित वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि के अनुसार)

(ग) यह उल्लेखनीय है कि वर्ष 2023-24 की तीसरी और चौथी तिमाही में बैठकों की कम संख्या का कारण माननीय संसद सदस्यों का चुनाव संबंधी गतिविधियों में व्यस्त होना हो सकता है। वर्ष 2024 की शुरुआत में 18वीं लोकसभा के चुनावों के बाद, दिनांक 24.06.2024 को जिला दिशा समितियों को भंग कर दिया गया था। इन समितियों का पुनर्गठन 08/08/2024 को किया गया। पुनर्गठन के बाद से अब तक 1633 दिशा बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं।

प्रभावी शासन को सुनिश्चित करने और जिलों के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए दिशा बैठकों का समय पर आयोजन अत्यंत महत्वपूर्ण है। दिशा के इसी महत्व को स्वीकार करते हुए, ग्रामीण विकास मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए निरंतर काम कर रहा है कि ये बैठकें नियमित रूप से आयोजित हों। सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को समय-समय पर आवश्यक कार्रवाई करने और संबंधित सदस्य सचिवों (जिला कलेक्टरों, मजिस्ट्रेटों, उपायुक्तों) को यह निर्देश देने का आग्रह किया गया है कि जिला स्तरीय दिशा बैठकें दिशा संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार आयोजित की जाएं। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किए जा रहे निरंतर प्रयासों के परिणामस्वरूप, जिला स्तरीय दिशा बैठकों के आयोजन के रुझान में सुधार हो रहा है। आयोजित की गई दिशा बैठकों की कुल संख्या वर्ष 2024-25 में 645 से बढ़कर वर्ष 2025-26 में 988 (आज की तिथि तक) हो गई है।

(घ) दिशा बैठकों का आयोजन न होने के कारण केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत जारी की जाने वाली निधियों पर न तो कोई रोक लगाई गई है और न ही इसे स्थगित किया गया है।